परिणाम बजट - 2013-14

अध्याय - III

प्रस्तावना

संस्कृति की भूमिका

संस्कृति मंत्रालय का उद्देश्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, संग्रहालयों, अभिलेखागारों, अकादमियों, सार्वजनिक पुस्तकालयों जैसी संस्थानों और विभिन्न क्षेत्रों में कला और संस्कृति के संवर्धन संबंधी स्कीमों के माध्यम से देश की सांस्कृतिक विरासत का परिरक्षण करना है ताकि सांस्कृतिक विकास के संदर्भ में हमारी मूर्त और अमूर्त दोनों सांस्कृतिक परंपराओं की निरंतरता बनी रहे। समकालीन सृजनात्मकता के प्रोत्साहन संबंधी कार्यक्रम, मंच कला, साहित्य तथा दृश्य कलाओं के क्षेत्र में कार्यरत तीन राष्ट्रीय अकादमियों और साथ ही प्रोत्साहनों, पुरस्कारों तथा शिक्षावृत्तियों की व्यवस्था के माध्यम से कार्यान्वित किए जाते हैं ताकि कला और संस्कृति विधा की अभिव्यक्ति बनी रहे। मंत्रालय द्वारा मूल स्तर पर ही संस्कृति के विकास हेतु अनेक पहल शुरू की गई हैं। देश के विभिन्न भागों में स्थापित सात क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र इस दिशा में न केवल अपने परस्पर मेलजोल के सांस्कृतिक विकास कार्यक्रमों के माध्यम से क्षेत्रीय सीमाओं से बाहर सांस्कृतिक संबंधों का प्रसार करते आ रहे हैं, अपितु ये केन्द्र ऐसे घनिष्ठ संबंध बनाने में भी सहायता कर रहे हैं जो लोगों की सांस्कृतिक चेतना और मानव संसाधन विकास का संपोषण करते हैं और जो आर्थिक विकास के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है। इसलिए आर्थिक विकास की तीव्र गति के संदर्भ में सांस्कृतिक विकास के पहलु को अनदेखा नहीं किया जा सकता। यह एक मान्य तथ्य है कि संस्कृति, भौतिक पर्यावरण बनाए रखने, पारिवारिक मूल्यों के परिरक्षण, समाज में नागरिक संस्थानों के संरक्षण आदि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संस्कृति राष्ट्रीय एकता के वाहक के रूप में कार्य करती है। संस्कृति, व्यक्तियों तथा समुदायों को कलात्मक अभिव्यक्ति की खोज, पहचान तथा उसके प्रयास के लिए प्रोत्साहित करती है जिससे समाज में सृजनात्मकता बढ़ती है और जिसकी गुणवत्ता से अंततः अन्य विभिन्न क्षेत्र लाभान्वित होते हैं।

देश में आधुनिकीकरण तथा प्रौद्योगिकी विकास से देश की सदियों पुरानी सांस्कृतिक परंपराओं पर असर पड़ने या प्रभावित होने या उसके प्रभाव को कम करने नहीं दिया जाना चाहिए। मंत्रालय का सदैव यह प्रयास और दृष्टिकोण रहा है कि ऐसे किसी कार्य को हतोत्साहित किया जाए जो देश के सामाजिक तथा सांस्कृतिक ताने–बाने तथा इसके प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर के लिए हानिकारक हैं। मंत्रालय के कार्यक्रम और कार्यकलापों का उद्देश्य देश की सांस्कृतिक परंपराओं के विकास और उनकी निरंतरता बनाए रखने हेतु कार्यक्रमों/स्कीमों का कार्यान्वयन करके सकारात्मक दिशा का रास्ता दिखाना है। इस संदर्भ में पूरे राष्ट्र के लिए सांस्कृतिक नीति विकसित करने की संगतता का और अधिक महत्व हो जाता है।

नीतिगत पहलों की दिशा में

संस्कृति मंत्रालय के सीधे नियन्त्रणाधीन राष्ट्रीय स्तर के 8 सांस्कृतिक संस्थान है और यह 34 स्वायत्त संगठनों तथा अन्य कई हजार सहायता अनुदान संस्थानों के लिए जिम्मेदार है। इन संस्थानों की गहन जांच से पता चला कि कुशल विशेषज्ञों की भर्ती करके सवंर्धित व्यावसायिकीकरण की गुजांइश है, जो उनके महत्वपूर्ण कार्य कर सकें। रिक्त पदों की भर्ती व पदों के सृजन (जहां नितांत आवश्यक है) के विशेष अभियानों से अन्य स्तरों पर व्यावसायिकीकरण और सुदृढ़ होगा ताकि संरक्षण, जीर्णोद्धार, अभिलेखीय प्रबंधन, अभिलेखों के डिजिटीकरण, परातत्वीय अन्वेषण तथा रिपोर्टों के प्रकाशन जैसे महत्वपूर्ण कार्य प्राथमिकता से किए जा सकें। संस्कृति संबंधी केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की सिफारिश पर श्री बी.एस.गोस्वामी की अध्यक्षता में लब्धप्रतिष्ठित व्यावसायिकों के साथ समिति गठित की गई ताकि संग्रहालयों के आधुनिकीकरण की वृहत योजना बनाई जा सके और अब इस समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन (व्यवहार्थ चरणों में) सर्वोच्च प्राथमिकता है।

गत दो दशकों में, भारत में शहरीकरण तथा निर्माण कार्यकलापों में अत्यधिक तेजी आई है, जिनसे राष्ट्रीय महत्व के कई स्मारकों को खतरा हो गया है (या वे छुप गए हैं)। चूंकि विनियामक इन आक्रमणों को रोक नहीं पाया अतः सरकार ने कई आमूल चूल परिवर्तन करते हुए, 2010 में प्राचीन स्मारक और पुरातत्वीय स्थल एवं अवशेष अधिनियम (अर्थात् एएमएएसआरए) में संशोधन कर दिया।

विश्व विरासत के विषय पर एक सलाहकार समिति का गठन किया गया है। इस समिति के कार्य यूनेस्को सूची में भारत के विरासत स्थलों की अनंतिम सूची की समीक्षा करना और उपयुक्त जुड़ाव/घटाव के लिए सिफारिशें करना ; विरासत स्थल के वैश्विक उत्कृष्ट मूल्य तथा नामांकन डोजियर की गुणवत्ता दोनों को ध्यान में रखते हुए, विश्व विरासत सूची में शामिल करने के लिए नामांकन हेतु विरासत स्थलों पर विचार करना और सिफारिश करना ; प्रत्येक नामांकन डोजियर को संशोधित सहित अथवा उसके बिना अनुमोदन के लिए विचार और संस्तुत करना ; अगले तीन से चार वर्षों में नामांकन हेतु उपयुक्त स्थलों की सूची की समीक्षा और संस्तुति करना ; मौजूदा स्थल प्रबंधन योजना (एसएमपी) की समीक्षा करना और मौजूदा एसएमपी के कार्यान्वयन हेतु तथा जहां एसएमपी मौजूद नहीं है वहां एसएमपी का विकास करने के लिए उपयुक्त सिफारिशें करना और विशेष समीक्षाएं करना तथा संकटमय विश्व विरासत स्थलों, यदि कोई हो, के संबंध में समयबद्ध रूप से की जाने वाली कार्रवाईयों के बारे में सिफारिशें करना हैं।

पुस्तकालयों के विकास हेतु निरंतर ध्यान दिए जाने को सुनिश्चित करने के लिए अन्य सिफारिशों के अलावा, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने '' राष्ट्रीय लाईब्रेरी मिशन'' की स्थापना करने की भी सिफारिश की है। मंत्रिमंडल सचिवालय के अनुमोदन के अनुसरण में एक उच्चस्तरीय समिति अर्थात् राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन को तदानुसार स्थापित किया गया था। इसकी अब तक 4 बैठके हुई है और इसने कार्य को 4 बृहद क्षेत्रों/परियोजनाओं में विभाजित किया है। राष्ट्रीय लाईब्रेरी मिशन ने देश के पुस्तकालय एवं सूचना क्षेत्र के संवर्धन हेतु एनएमएल द्वारा प्रारंभ में शुरू किए जाने वाले प्रमुख क्षेत्रों की पहचान करने तथा पुस्तकालय अवसंरचना और सेवाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु एनएमएल द्वारा शुरू किये जाने वाली परियोजनाओं की प्राथमिकताओं का निर्धारण करने के लिए भी चार (4) कार्य समूहों का गठन करने का निर्णय लिया है इनमें भारत की राष्ट्रीय वर्चुल लाईब्रेरी का सृजन ; एनएमएल मॉडल पुस्तकालय की स्थापना ; पुस्तकालयों का गुणात्मक एवं परिमाणात्मक सर्वेक्षण ; क्षमता निर्माण आदि शामिल हैं।

<u>सुधार उपाय</u>

मंत्रालय के पास सीमित वित्तीय संसाधन होने से कला और संस्कृति की परिधि में आने वाले प्रत्येक क्षेत्र के विकास में बाधाएं हैं। संस्कृति मंत्रालय के तहत् अनेक प्रमुख संस्थानों द्वारा तथा विभिन्न स्कीमों के तहत् निर्धारित लक्ष्यों को निधियों की कमी के कारण वास्तविक उपलब्धियों के रूप में पूरा नहीं किया जा सका। संस्कृति मंत्रालय के तहत् संस्थान, जो कला और संस्कृति के विभिन्न क्षेत्रों में अपने कार्यकलाप बढ़ाते हैं, इन क्षेत्रों में अत्यधिक ध्यान देते हैं और अपने–अपने संबंधित क्षेत्रों में सांस्कृतिक विकास के मुख्य माध्यम के रूप में

कार्य करते हैं। सांस्कृतिक विकास के संदर्भ में पर्याप्त बुनियादी ढाँचे के साथ इन संस्थानों का विकास किए जाने को लेकर अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। 11वीं योजना में परिकल्पित कार्यक्रमों तथा कार्यकलापों में इन तथ्यों को स्वीकार किया गया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, पुरातत्व, संग्रहालयों, अभिलेखागारों, अभिलेखीय पुस्तकालयों, सार्वजनिक पुस्तकालयों तथा मानव विज्ञान और नृजाति-विज्ञान के क्षेत्रों में प्रमुख संस्थानों के मामलों में विकास कार्यकलापों को सुदृढ़ करने के लिए विशेषतः योजनागत प्रावधान में वृद्धि को उचित प्राथमिकता दी गई है। इसके अलावा वर्ष, 2010-11 / 2011-12 के दौरान मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित मंचकला और संग्रहालय क्षेत्रों के तहत अधिकांश सहायता अनुदान स्कीमों को 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के निर्धारण हेतु कार्यकारी समूह द्वारा गठित कला एवं संस्कृति उप - समूहों की सिफारिशों के आलोक में संशोधित/आशोधित किया गया है। अनवरत योजनागत स्कीमों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए समीक्षा कार्य की कवायद से स्वैच्छिक सांस्कृतिक संगठनों/व्यक्तियों के लिए अभिप्रेत कई स्कीमों के दायरे व विषय वस्तु में संशोधन हुआ जिससे वह उनकी सृजनात्मक प्रतिभा के सम्पोषण के साथ-साथ आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने में काफी सहायक रहीं। इस प्रक्रिया से स्वैच्छिक सांस्कृतिक संगठनों/व्यक्तियों के लिए अभिप्रेत अनेक स्कीमों के क्षेत्र और विषय-वस्तु में संशोधन हुआ। इन उपायों से निरपवाद रूप से अंतिम परिणामों में गुणात्मक तथा मात्रात्मक दृष्टि से सुधार होगा। मंत्रालय के बजट में मौजूद रेखीय प्रविष्टियों को कम करने के लिए वर्ष 2013-14 तथा 12वीं योजना (2012-17) की शेष अवधि के लिए विभिन्न मौजूदा और नई स्कीमों को आमेलित किया जा रहा है।

भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार, राष्ट्रीय पुस्तकालय तथा अन्य अभिलेखागार पुस्तकालयों ने उनके पास उपलब्ध दस्तावेजों/पांडुलिपियों और माइक्रोफिल्मों के अभिलेखों के अंकीय रूप प्राप्त करने के लिए अंकीयकरण कार्यक्रम को तेज कर दिया है। 'संग्रहालय आंदोलन' के उद्देश्य को आगे बढ़ाने में सहायक उपायों के साथ तथा शुरूआती कठिनाइयों, जो अब नियंत्रण में लगती है, को देखते हुए 12वीं योजना अवधि एक ऐसा समय हो सकती है जब इस आंदोलन को पूरी गंभीरता से आरंभ किया जा सकता है। संग्रहालय आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले कार्यों में वर्चुल संग्रहालय सहित स्थानीय और क्षेत्रीय संग्रहालयों की स्थापना और स्तरोन्नयन, राज्य और राष्ट्रीय स्तर के (मैट्रो संग्रहालय) का आधुनिकीरण, राज्य सरकार/नागरिक समाज की भागीदारी के माध्यम से राज्यों की राजधानियों में बड़े स्तर के संग्रहालयों की स्थापन, आईसीटी प्रौद्योगिकी के माध्यम से पहुंच को सुगम बनाने के लिए सभी संग्रहालयों में संग्रहों के अंकीकरण के कार्यक्रम, संग्रहालय के मौजूदा कर्मचारियों की क्षमता का विकास और प्रशिक्षण, संग्रहालय डिजाइन और संग्रहालय प्रबंधन आदि जैसी अतिरिक्त सुविधाओं के सृजन जैसे व्यापक कार्यात्मक क्षेत्र शामिल होंगे।

विगत 25 वर्षों के दौरान सात क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों (जेडसीसी) के कार्यकरण और कार्य निष्पादन की समीक्षा करने के लिए संस्कृति मंत्रालय ने श्री मणि शंकर अय्यर की अध्यक्षता में वर्ष 2010 में जेडसीसी पर एक समिति का गठन किया था। इस समिति ने जेडसीसी को उनके अधिदेश को पूरा करने में समर्थ बनाने के लिए बहुत सी महत्वपूर्ण सिफारिशें की थी जिनमें जेडसीसी की गुरू शिष्य परंपरा स्कीम का पुनर्योजन ; लोक एवं जनजातीय कलाकारों के पारिश्रमिक को बढ़ाना ; जेडसीसी की कॉर्पस निधि को बढ़ाना ; नई प्रतिभाओं विशेषकर ग्रामीण मुफस्सिल क्षेत्रों तथा शहरी मलिन बस्तियों के सुविधा वंचित लोगों की पहचान, प्रशिक्षण और प्रोत्साहन शामिल हैं।

प्रक्रियात्मक विलंब के समय में कटौती करते हुए अनुदानों की निर्मुक्ति में तेजी लाने की दृष्टि से बजटीय आंवटन के तहत निधियों के केंद्रीकृत सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया अगस्त, 2008 से समाप्त कर दी गई तब से संबंधित अनुभागों ने अपनी–अपनी स्कीमों/संगठनों से सम्बन्धित निधियों के सर्टिफिकेशन के कार्य को आरंभ कर दिया है। प्रधान लेखा कार्यालय सम्बंधित वेतन एवं लेखा कार्यालयों के जरिये मंत्रालय से सम्बंधित लेखा मामलों के लिए उत्तरदायी है जो भुगतान कार्यों, बजट की निगरानी और सभी लेन–देन के खातों का संकलन का कार्य कर रहे हैं। सभी अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थानों को सहायता अनुदान जारी करने के लिए इलेक्ट्रानिक संमाशोधन सेवा (ईसीएस) इनके व्यय का नियंत्रण, मंत्रालय के कम्प्यूटरीकृत मासिक लेखे, विनियोग लेखों की तैयारी आदि जैसे कम्प्यूटरीकृत प्रणाली की शुरूआत के साथ ये प्रणाली वेतन एवं लेखा कार्यालयों के अनेक कार्यों में गति और शुद्धता प्राप्त करने में और लेखा प्रक्रिया के विभिन्न कार्यों में पारदर्शिता को भी बनाये रखने में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं।

सार्वजनिक/निजी भागीदारी

संस्कृति मंत्रालय ने देश की सांस्कृतिक विरासत के संवर्धन, संरक्षण एवं परिरक्षण के क्षेत्र में सार्वजनिक/निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए सराहनीय प्रयास किए हैं। इस उद्देश्य की प्राप्ति की दिशा में, भारतीय संस्कृति को समृद्ध बनाने के लिए संस्कृति मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक निजी कार्यक्रम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1996 में राष्ट्रीय संस्कृति निधि की स्थापना की गई। निधि, भारत की मूर्त एवं अमूर्त विरासत के परिरक्षण और संरक्षण के लिए भागीदारी और सहयोग आमंत्रित करती है। इसकी स्थापना भारत की संस्कृति निधियन के नवोन्मेषशाली पैटर्न को शुरू करने के लिए की गई। निधि, सरकार को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण हेतु सरकार, गैर–सरकारी एजेंसियों, निजी संस्थाओं तथा व्यक्तियों से बजटेतर संसाधन जुटाने में सहायता करती है। एन सी एफ अनेक विरासत स्थलों तथा स्मारकों के संरक्षण और परिरक्षण के लिए अनेक प्रमुख कार्पोरेट घरानों, सार्वजनिक क्षेत्र की यूनिटों, अन्तर्राष्ट्रीय न्यासों तथा वित्तपोषक एजेंसियों से जुड़ी है।

राष्ट्रीय संस्कृति निधि (एन.सी.एफ) का प्राथमिक उद्देश्य विरासत के क्षेत्र में सार्वजनिक निजी भागीदारी (पी.पी.पी) की स्थापना और पोषण करना है। इस क्षेत्र को देश के समग्र विकास में इसकी भूमिका को साकार करने और उनके कार्यों रेट सामाजिक जिम्मेदारी के भाग के रूप में विरासत के दावे में एन.सी.एफ के उत्तरदायित्व को संवेदनशील करना है। मूर्त और अमूर्त विरासत के क्षेत्र में 28 से अधिक चल रही परियोजनाएं एनसीएफ के अधीन है।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान एनसीएफ परियोजना के निजी क्षेत्र निधि दाताओं के साथ निम्नलिखित परियोजनाओं को पुनः सक्रिय किया गया है :–

•	मैसर्स एपीजे सुनेन्द्र पार्क होटल्स लि.	----	जंतर मंतर, नई दिल्ली
•	आई ओ एफ	----	स्मारकों का जीर्णोद्धार और विकास
•	विश्व स्मारक निधि	----	जैसलमेर किला, जैसलमेर
•	स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लि.	----	लोधी मकबरा परियोजना, नई दिल्ली
•	बुकारो स्टील प्लांट	----	लौरिया नन्दनगढ़, बिहार
•	एस टी सी	----	गेल गुम्बज, बीजापुर, कर्नाटक
•	पी ई सी लि.	----	यूसुफ क़तल का मकबरा, नई दिल्ली
•	हैम्पी फाउंडेशन एंड डब्ल्यू एम एफ	----	कृष्णा मंदिर, हैम्पी, कर्नाटक
•	यूको बैंक, चंडीगढ़	----	हिडिम्बा देवी मंदिर, हिमाचल प्रदेश
•	सेल्फ	----	आलम बाजार मठ परियोजना, कोलकाता
•	गेल	----	तुगलकाबाद किला, नई दिल्ली

•	नौरस न्यास	----	इब्राहीम रौज़ा के बाग और गोल गुम्बद, बीजापुर, कर्नाटक
•	एन टी पी सी	----	राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण
•	नागरिक सेवा मंडल	----	शिव मंदिर, अम्बरनाथ, महाराष्ट्र
•	तेल एवं प्राकृतिक कार्पोरेशन	----	अहोम स्मारक, असम
•	एस बी आई, कोलकाता	----	हजार दुवारी पैलेस, जिला मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल

उपर्युक्त परियोजनाओं के अतिरिक्त, अमूर्त विरासत की निम्नलिखित सतत चलने वाली परियोजनाओं को राष्ट्रीय संस्कृति निधि के प्राइवेट निधि प्रदाताओं के साथ पुनः सक्रिय किया गया है :

•	ज्ञान प्रवाह न्यास	----	संस्कृत नाटक का मंचन, उ.प्र.
•	अकादमी	----	संस्कृति बाल अकादमी, दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल
•	किशकिंदा न्यास	----	अनेगुंडी ग्राम, कर्नाटक का सामाजिक आर्थिक विकास
•	आर डी के संग्रहालय	----	राजा दिनकर केलकर संग्रहालय, पुणे, महाराष्ट्र
•	मैसर्स दर्पण अकादमी	----	मृणालिनी साराभाई पर फिल्म, गुजरात
•	एनसीएफ – एसएएआरटीएच एमईए–ओएनजीसी	----	किशोरी अमोलकर पर फिल्म, महाराष्ट्र
•	मैसर्स इंडिया फोटो आर्कीव फाउंडेशन	----	कुलवंतराय के दृश्य अभिलेख, हरियाणा विरासत उत्सव, उत्तराखंड
•	रीच फाउंडेशन, ओएनजीसी	----	विरासत उत्सव, उत्तराखंड

वर्ष 2011–12 के दौरान, पब्लिक सेक्टर के साथ, कुछ नई परियोजनाएं भागीदारी में प्रारंभ की गई हैं, उनमें से कुछ मुख्य परियोजनाएं निम्नलिखित हैं :

•	ए एस आई और शिपिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया	----	शोर मंदिर में दर्शक – असुविधाओं का निर्माण
•	वेणु गोपाल मंदिर, राजस्थान	----	वेणु गोपाल मंदिर, पुष्कर के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी
•	शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया	----	महाबल्लीपुरम, तमिलनाडु के शोर मंदिर के चारों ओर भू–परिदृश्य का निर्माण
•	दस संग्रहालय	----	नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम

वे परियोजनाएं जो पूरी हो गईं :

1. ताजमहल, आगरा, उ.प्र.
2. हुमायूं का मकबरा, नई दिल्ली 1999
3. शनिवार वाड़ा पैलेस, पुणे 2001
4. रमण महर्षि शिक्षा केन्द्र, बंगलौर – 1,2001
5. परदेशी स्यानगोग क्लोक टावर, कोचीन, 2001
6. रामकृष्ण मिशन संस्कृति संस्थान, कोलकाता
7. मीरों का संगीत, नई दिल्ली, 2006
8. 1850–2005 के भारत में कला और दृश्य संस्कृति, मार्ग प्रकाशन द्वारा प्रकाशित, 2006
9. रमण महर्षि शिक्षा केन्द्र – II, सांस्कृतिक अनुसंधान भवन का निर्माण, 2007
10. स्थावरण, राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली, 2010
11. ज्ञान प्रवाह न्यास, वाराणसी
12. एसएएआरटीएच, किशोरी अमोलकर पर फिल्म

भारतीय संग्रहालयों की भूमिका के विकास और संवर्धन का आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए संस्कृति मंत्रालय ने सेवारत संग्रहालय व्यावसायिकों के लिए एक नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम (एलटीपी) प्रारंभ किया है। यह कार्यक्रम, ब्रिटिश संग्रहालय, लंदन के सहयोग और राष्ट्रीय संस्कृति निधि के समन्वयन द्वारा आयोजित किया गया था। माननीया संस्कृति मंत्री ने, दिल्ली में इस कार्यक्रम का उद्घाटन 9 जनवरी, 2012 को किया था, जिसमें, निदेशक, ब्रिटिश संग्रहालय भी उपस्थित थे। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम, संस्कृति मंत्रालय और तीन ब्रिटिश संस्थानों – ब्रिटिश संग्रहालय, विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय और ब्रिटिश पुस्तकालय द्वारा भारत और यूनाइटेड किंगडम के मध्य 2010 में संस्कृति परियोजनाओं में सहयोग प्रदान करने के लिए हस्ताक्षरित किया गया था।

राष्ट्रीय संस्कृति निधि को अपना प्रारंभिक प्रोत्साहन संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समग्र निधि की योगदान राशि 19.50 करोड़ रूपये के माध्यम से प्राप्त हुआ।

सामाजिक एवं महिला सशक्तीकरण प्रक्रिया

संस्कृति मंत्रालय अपने कार्यक्रमों में सभी वर्गों के लोगों को शामिल करने पर पर्याप्त बल देता रहा है। मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए तथा शुरू किए गए और इसके विभिन्न संगठनों द्वारा अपने-अपने कार्यकलापों के माध्यम से चलाए जा रहे अधिकांश कार्यक्रमों में निजी कलाकारों, कलाकार समुदायों, स्वैच्छिक सांस्कृतिक संगठनों तथा व्यापक स्तर पर लोगों को शामिल किया जाता है। क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों (जेड सी सी) द्वारा तैयार किए गए तथा अपनाए कार्यकलापों में संबंधित क्षेत्रों में उन कलाओं के विकास को शामिल किया जाता है जिनके लिए इन केन्द्रों की स्थापना की गई और इन केन्द्रों के कार्यकलापों में स्थानीय कलाकारों/निष्पादकों तथा संबंधित क्षेत्र के लोगों को उचित महत्व दिया गया है। अकादमियों जैसे संगीत नाटक अकादमी, साहित्य अकादमी और ललित अकादमी के मामले में आम लोगों की भागीदारी को अनदेखी नहीं किया जा सकता है। सार्वजनिक पुस्तकालयों, विशेषतः राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान, जो ग्रामीण क्षेत्रों में पुस्तकालयों सहित पुस्तकालयों की स्थापना में वित्तीय सहायता प्रदान करता है वह आम लोगों जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं, को अपनी सेवाएं देता है। शैक्षिक एवं आउटरीच कार्यक्रम तथा विद्यार्थियों और जनता के लाभार्थ विभिन्न संग्रहालयों द्वारा आयोजित प्रदर्शनियाँ भी इस संदर्भ में विशेष उल्लेख के पात्र हैं।

महिला सशक्तीकरण के मामले में संस्कृति मंत्रालय के विभिन्न संगठनों विशेषतः क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों; संगीत नाटक अकादमी; साहित्य अकादमी; ललित कला अकादमी; राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय; सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र, कलाक्षेत्र प्रतिष्ठान के अधिकांश कार्यक्रमों/स्कीमों में एक मोटे अनुमान से इनके कार्यक्रमों में महिलाओं की भागीदारी पर्याप्त हो सकती है। इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक पुस्तकालयों, संग्रहालयों, मानव विज्ञान संबंधी संस्थानों जैसे क्षेत्रों संबंधी कार्यकलापों कार्यक्रमों के तहत महिलाओं की भागीदारी काफी होगी। चूँकि सामान्य रूप से संस्कृति मंत्रालय और इसके संगठनों के अधिकांश कार्यकलाप/कार्यक्रम मुख्यतः कला और संस्कृति के विकास के प्रति समर्पित हैं, अतः संस्कृति के क्षेत्र में अनुसंधान, प्रलेखन, प्रदर्शनियों जैसे कार्यक्रमों में महिलाओं की भागीदारी काफी प्रशंसनीय हो सकती है। तथापि, यह मंत्रालय जेडसीसी और कला एवं संस्कृति के संवर्धन हेतु वित्तीय सहायता स्कीम (पूर्व में विशिष्ट मंच कला परियोजना/नृत्य, नाटक एवं रंगमंच मंडलियों हेतु व्यावसायिक समूहों तथा व्यक्तियों के लिए वित्तीय सहायता) के अंतर्गत महिलाओं के लाभ हेतु बजटीय आबंटन का 30 प्रतिशत निर्दिष्ट करता रहा है।

अनुसूचित जाति उप–योजना (एससीएसपी) एवं जनजातीय उप–योजना (टीएसपी)

डा. नरेन्द्र जाधव, सदस्य योजना आयोग की अध्यक्षता में एससीएसपी तथा टीएसपी संबंधी विशेष कार्यबल की 27.10.2010 को आयोजित बैठक में यह निर्णय किया गया कि संशोधित मानदण्ड के अनुसार संस्कृति मंत्रालय सहित कतिपय मंत्रालय/विभागों का एससीएसपी के तहत योजनागत निधियां उद्दिष्ट करने का कोई दायित्व नहीं है। जहां तक टीएसपी का संबंध है, मंत्रालय, इसके कतिपय चुनिंदा संगठनों/स्कीमों के तहत वर्ष 2011–12 में अपने योजनागत आबंटन में से 2 प्रतिशत उद्दिष्ट करेगा।

संस्कृति मंत्रालय कला और संस्कृति के संवर्धन एवं प्रसार हेतु अनेक सहायता अनुदान स्कीमें चलाता है जिसके तहत व्यक्तियों/स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। स्कीमों के बारे में जागरूकता पैदा करने और उनका उपयोग किए जाने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष प्रमुख समाचार पत्रों में विभिन्न सहायता स्कीमों के तहत आवेदन आमंत्रित करने के विज्ञापन दिए जाते हैं। मंत्रालय ने ''समर्थन'' भी प्रकाशित किया है जिसमें आम जनता के लाभार्थ मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित विभिन्न सहायता अनुदान स्कीमों के ब्यौरे दिए गए हैं। यह विशेषतः इन अनुदानों का लाभ उठाने के लिए स्वैच्छिक संगठनों तथा व्यक्तियों की सूचना और प्रयोग हेतु है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

सरकार के स्वच्छ एवं त्रीव कार्यकरण में पारदर्शिता लाने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम लाया गया है। इस अधिनियम को कार्यान्वित करने के लिए संस्कृति मंत्रालय ने 18 सीपीआईओ और 10 अपील प्राधिकारी नियुक्त किए है। मंत्रालय के निर्बाध कार्यकरण पर सतर्कता दृष्टि रखना इनका कार्य हैं। मंत्रालय के 10 वरिष्ठ अधिकारियों (10 प्रमंडल प्रमुखों) को उनके प्रशासनिक क्षेत्रों के लिए अपीली प्राधिकारी के रूप में तैनात किया गया है। 18 अवर सचिवों /उप निदेशकों को भी केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) के रूप में नियुक्त किया गया है।

आरटीआई अधिनियम, 2005 के कार्यान्वयन हेतु आरटीआई अधिनियम के सभी प्रावधानों के कार्यान्वयन में मंत्रालयों को सहायता प्रदान करने और सीपीआईओ को अपने कार्य के निवर्हन में प्रशिक्षित करने के लिए आईएसटीएम कार्यशालाओं/सेमिनारों का आयोजन करता है। अधिकारियों/सीपीआईओ ने ऐसी कार्यशालाओं/संगोष्ठियों में भाग लिया। वर्ष 2011–12 के दौरान मंत्रालय को सूचना प्राप्त करने संबंधी 195 आवेदन प्राप्त हुए और इनमें से अधिकांश आवेदनों का निपटान कर दिया गया था। वर्ष 2012–13 के दौरान (दिसंबर, 2012 तक) मंत्रालय से संबंधित विभिन्न सांस्कृतिक पहलुओं पर सूचना प्राप्त करने से संबंधित 402 आवेदन प्राप्त हुए थे और लगभग सभी मामलों को निपटा दिया गया था। अतिरिक्त शुल्क सहित आरटीआई शुल्क के रूप में 2147 रू की राशि एकत्रित हुई।

लोकहित के सभी मामले जैसे मंत्रालय की स्कीमों, कार्यान्वयन एजेंसी, अनुदान सहायता संबंधी स्कीमों की सूचनाएं वरिष्ठ अधिकारियों, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों के नाम तथा बजटीय व्यय/बजटीय प्रावधानों आदि से संबंधित आंकड़े मंत्रालय की वेबसाइट **www.indiaculture.gov.in** पर डाली गई हैं तथा इसे समय–समय पर अद्यतन किया जाता है।

संस्कृति मंत्रालय कला एवं संस्कृति के संवर्धन तथा प्रसार हेतु बहुत सी सहायता अनुदान स्कीमों का संचालन करता है जिसके अंतर्गत व्यक्तियों/स्वैच्छिक सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। प्रत्येक वर्ष स्कीमों के बारे में तथा स्कीमों के उपयोग करने के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए अग्रणी समाचार–पत्रों में और संस्कृति मंत्रालय की वेबसाइट पर भी विभिन्न सहायता अनुदान स्कीमों के अंतर्गत आवेदन आमंत्रित करने संबंधी विज्ञापन दिए जाते है। इन अनुदानों का लाभ उठाने के लिए स्वैच्छिक सांस्कृतिक संगठनों और व्यक्तियों की जानकारी और उपयोग के लिए आम जनता के लाभ हेतु मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जारी विभिन्न सहायता अनुदान स्कीमों के ब्यौरे देने वाली ''समर्थन'' पुस्तिका भी प्रकाशित की है।